

कर्मचारी आवेदन संख्या - JTB/NGD/ME/REG-SPJ

निम्नलिखित कर्मचारी जो अस्था रेलवे भर्ती प्रसोच कृपा के पत्रक- RRC/CCRB/CPA/REG/2019-20  
दिनांक-05.07.2019 के अनुसार ट्रेड नॉटिस-IV (इजी) लेवल-01 के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य एवं यह है कि  
नियुक्ति को भी में उत्तीर्ण है, के द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव पत्र स्वीकार करने के उपरंत अस्थायी नियुक्ति इसके पत्र के पत्र  
कॉपी पर केवल लेवल, वेतन एवं स्टेसन/इकाई पर ही जाती है-

| कर्मचारी का नाम<br>(श्री/श्रीमती/शु) | पिता का नाम<br>(सर्वश्री) | जन्म तिथि  | समुदाय | चिकित्सा श्रेणी,<br>प्रमाण पत्र सं०,<br>एवं दिनांक                                    | पदस्थापना पर<br>लेवल-01 में<br>वेतन निर्धारण | पदस्थ एवं<br>पदस्थापित<br>कुनिट/स्टेशन |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|--------|---|--|--|
| MANORANJAN<br>KUMAR SINGH            | AMRENDRA<br>KUMAR SINGH   | 19.02.1990 | OBC    | Fit in A-2 &<br>below With out<br>glass by<br>Sr.DMO/DHIN<br>No-778259<br>DL-28.05.19 | ₹18000/-                                     | TM-IV Under<br>SSI/D, Wazirpur         |



मनोरंजन कुमार सिंघ

Manoranjan Kumar Singh

हस्ताक्षर (हिन्दी)

हस्ताक्षर (अंग्रेजी)



पहचान चिन्ह: 1. A mole mark on the left hand on index finger.  
2. A mole mark on the upper lip of the mouth.

LTI/RTI (in case of Female Candidate)

इन्हें समय-समय पर स्वीकार्य भत्ता देय है। वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा  
जहाँ नियुक्त पद पर प्रशिक्षण आवश्यक होगा, वहाँ संबंधित विभाग/अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था में  
अभ्यर्थी को सम्मिलित होना होगा।

इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थायी कर्मचारी पर लागू होती है। वरिष्ठ सहायक के  
दौरान प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाये जाने पर सेवा  
समाप्त कर दी जायेगी। इन्हें प्रादेशिक सेना के रेलवे इजीनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक तथा प्रादेशिक सेना में 05 वर्षों तक  
सेवा करनी होगी, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इनकी सेवा रेलवे सेवा के अंतर्गत  
F(E)/III/2003/PN-1/24 दिनांक 31.12.2003 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन दिनांक 01.01.2004 से लागू  
नई पेंशन योजना एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों से शासित होगी।

( चन्द्र किशोर )  
सहायक कार्मिक अधिकारी-1  
समस्तीपुर  
दिनांक 29/07/2019

संख्या: का/227/आरआरसी पैनल/सम/इंजी./2019  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वमविप्र/सम0
2. वमइ(समन्वय)
3. संबंधित समइ
4. संबंधित वसेइ(रेल पथ)
5. कार्याधी/एम0पी0पी0- वे कृपया इसे समस्तीपुर मंडल के वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
6. अभिलेख हेतु
7. मुकाम्याधी पास- कृपया उक्त कर्मचारी के पक्ष में समस्तीपुर से पदस्थापना स्थल तक कार्य योगदान हेतु उचित कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित कर्मचारी
9. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयू0,ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0

सहायक कार्मिक अधिकारी-1  
समस्तीपुर